न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः—05/2022

तारीख दायर—12.04.2022

तारीख—निर्णय—02.8.2024

1. श्री धन्ना पिता मन्ना मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

........वादी

बनाम

1. श्री लालु पिता नाथा मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
2. श्री देवीया पिता राज्या मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
3. श्री नाथा पिता कालु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
4. श्री लालु पिता गोतमा मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्री सवला पिता नाथु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
6. श्री नानिया पिता नाथु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
7. श्री नानिया पिता नाथु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

...........अप्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित—श्री पुष्कर लाल मीणा, वकील वादी

प्रतिवादी की ओर से— एक तरफा

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संस्थित किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है की मौजा बेडावल पटवार हल्का बेडावल—ए भू—अभिलेख निरीक्षक देवलीया में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 60 नया पुराना 61 के आराजी नम्बर 2833/1587 रकबा 0.7000 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 व खाता संख्या नया 67 पुराना 00 के आराजी नम्बर 1665/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर तथा 1729/2 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर प्रतिवादीगणों का कोई सरोकार नही है, किन्तु वादी को धमकिया दी जाने लगी है वादी के काश्त करने में विघ्न पेदा करने की कोशिशे करने लगे हैं। वादी के नाम पर जो भूमि स्थित है उस पर प्रतिवादीगणों द्वारा जबरन कब्जा कर वादी को मौके पर से बेदखल कर दिया वादी अकेला होकर गरीब काश्तकार है प्रतिवादीगण द्वारा अपने ताकल के बल पर वादी को डरा धमका कर भूमि पर कब्जा कर दिया है। वादी द्वारा कई मर्तबा कब्जा प्राप्त करने की कोशिश की परन्तु प्रतिवादीगण जो संख्या में अधिक होने से वादी के साथ मारपिट करने की कोशिश करते है। इस प्रकार वादी की कृषि भूमि पर प्रतिवादीगणों ने जबरन अतिक्रमण कर लिया है। बतौर अतिक्रमी द्वारा झोपडे बना दिये जिस पर वादी ने पुलिस थाने

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

Scanned with CamScanner

में इत्तला दी थी किन्तु प्रतिवादीगण असरदार लोग होने से कोई कार्यवाही नही की गई वादी वादोक्त भूमि का पुनःकब्जा प्राप्त करने की दावेदार है।प्रतिवादीगण खुखार लोग जंगलराज चला रखा है। वादी एक गरीब काश्तकार होने से प्रतिवादीगणों को मौके से बेदखल करने में असमर्थ है। अतः पुनः कब्जा दिलाया जाना अतिआवश्यक है। वादी प्रतिवादीगणों को बेदखल करा कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। क्षैत्राधिकार आप न्यायालय का होने से आप न्यायालय में वाद पेश किया जा रहा है। व जमाबन्दी में अन्य खातेदार सह–खातेदार होने से व उनके विरूद्व कोई दाद नही चाहने से उन्है प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को नोटिस जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किये गये प्रतिवादीगणों ने कोई साक्ष्य सबुत न्यायालय में पेश नही किये बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवावादीगणों के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तत्पश्चात् प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस सुनी गई विद्वान अधिवक्त वादी ने अपनी बहस में वही कथन कहें जो अपने वाद में अंकित किये गये है।

हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन , पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी के अवलोकन से वादग्रस्त आराजी के वादी खातेदार काश्तकार है। जिस पर प्रतिवादीगणों ने जबरन कब्जा कर दिया है प्रतिवादीगणों द्वारा वादी के उक्त कथनों के खण्डन में कोई साक्ष्य या सबूत पेश नही किया है बल्कि बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहें है। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगणों का प्रतिदावा सिद्व नही होने से खारीज किया जाता है। तहसीलदार लसाडिया को आदेश दिया जाता है कि मौजा बेडावल पटवार हल्का बेडावल–ए भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीया में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 60 नया पुराना 61 के आराजी नम्बर 2833/1587 रकबा 0.7000 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 व खाता संख्या नया 67 पुराना 00 के आराजी नम्बर 1665/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर तथा 1729/2 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगणों का कब्जा हटा कर भौतिक रूप से वादी को कब्जा दिया जावे प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम हों ।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला-सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया जिला सलुम्बर

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारी:–श्री पर्वत सिह चुण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 05/2022

वादी पक्ष

1. श्री धन्ना पिता मन्ना मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)

........वादी

बनाम

2. श्री लालु पिता नाथा मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
3. श्रीदेवीया पिता राज्या मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिलासलुम्बर(राज.)
4. श्री नाथा पिता कालु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज.)
5. श्री लालु पिता गोतमा मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिलासलुम्बर(राज.)
6. श्री सवला पिता नाथु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिला सलुम्बर(राज)
7. श्रीनानिया पिता नाथु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिलासलुम्बर(राज.)
8. श्रीनानिया पिता नाथु मीणा निवासी बेडावल तहसील लसाडिया जिलासलुम्बर(राज.)
9. भूमिधारी जरिये तहसीलदार लसाडिया जिला सलुम्बर (राज.)

............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– वादी की ओर से– श्री पुष्कर लाल मीणा

प्रतिवादी की ओर से– एक तरफा

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू श्री पुष्करलाल मीणा वकिल वादी मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगणों का प्रतिदावा सिद्व नही पाये जाने से खारीज किया जाता है।तहसीलदार लसाडिया को आदेश दिया जाता है कि मौजा मौजा बेडावल पटवार हल्का बेडावल–ए भू–अभिलेख निरीक्षक देवलीया में वादी के खुद काश्त, कब्जे तथा खातेदारी की खाता संख्या 60 नया पुराना 61 के आराजी नम्बर 2833/1587 रकबा 0.7000 हैक्टेयर हिस्सा 1/6 व खाता संख्या नया 67 पुराना 00 के आराजी नम्बर 1665/1 रकबा 0.0700 हैक्टेयर तथा 1729/2 रकबा 0.0300 हैक्टेयर किता 02 कुल रकबा 0.1000 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगणों का कब्जा हटा कर भौतिक रूप से वादी को कब्जा दिया जावे प्रतिवादीगणों को उक्त भूमि से बेदखल किया जावे।

पर्चा डिक्री वसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 02.08.2024 को जारी की गई

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलूम्बर

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला सलुम्बर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया सलुम्बर